भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3115
उत्तर देने की तारीख : 07.08.2025

उत्तर-पूर्वी राज्यों में एमएसएमई योजनाएं

3115. श्री सालेंग ए. संगमा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों में कार्यान्वित की गई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) योजनाओं और ऋण संवितरण कार्यक्रमों की संख्या और प्रकृति का ब्यौरा क्या है;
(ख) मेघालय राज्य में जिला-वार कवरेज सहित विशेष रूप से विस्तारित ऐसी योजनाओं और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान मेघालय में सरकारी योजनाओं और ऋण-संबद्ध पहलों से लाभान्वित होने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल संख्या कितनी है;
(घ) मेघालय में सरकार द्वारा प्रोत्साहित किसी संस्थागत साझेदारी, तकनीकी सहायता केंद्र या आजीविका क्लस्टरों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का मेघालय और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में ऋण, कौशल और बाजार संपर्कों सहित एमएसएमई सहायता पहलों का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : केंद्र सरकार, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास हेतु विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 18,53,123 एमएसएमई, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और मेघालय में 54,839 पंजीकृत हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों सहित एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(1) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है ताकि इसके सदस्य ऋणदाता संस्थानों को बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और तृतीय-पक्ष गारंटी के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दी जाने वाली 10 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधाओं के लिए ऋण गारंटी प्रदान की जा सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए विशेष प्रावधानों में वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की छूट और 50 लाख रुपए तक के ऋण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की इकाइयों के लिए संवर्धित गारंटी कवरेज (80%) प्रदान करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, मेघालय को 740 करोड़ रुपए की कुल 5,879 गारंटियाँ स्वीकृत की गईं।

(2) भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड नामक एक निधियों की निधि की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उन एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करना शामिल है जिनमें विकसित होकर बड़ी इकाई बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है। इस योजना के तहत, कुल 50,000 करोड़ रुपए के फंड में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास पूंजी प्रदान करना है।

(3) पूर्वोत्तर और सिक्किम में एमएसएमई के संवर्धन की योजना, विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवाचारों और कौशल विकास गतिविधियों के पूरक के रूप में एमएसएमई के लिए बुनियादी ढाँचे और सामान्य सुविधाओं के निर्माण या उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के आरंभ से अब तक, मेघालय के लिए 84.58 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली, कुल 7 परियोजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(4) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, फ्लैटेड फ़ैक्टरी परिसरों की स्थापना और औद्योगिक सम्पदाओं के निर्माण एवं उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मेघालय के सेल्सेला ज़िले में काजू प्रसंस्करण क्लस्टर में 189.37 लाख रुपए की कुल लागत से सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

(5) एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, विलंबित भुगतानों के मुद्दों का समाधान करना और एमएसएमई को हरित बनाना तथा महिला उद्यमियों को गारंटी को बढ़ावा देना है।

एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैंप) योजना के अंतर्गत, मेघालय राज्य हेतु 44.804 करोड़ रुपए की 09 (नौ) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और दिनांक 04.08.2025 तक रैंप योजना के तहत मेघालय में कुल 13,817 एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं।

(6) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक ऋण-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मार्जिन मनी सब्सिडी के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, मेघालय में बैंकों द्वारा कुल 3,131 ऋण स्वीकृत किए गए।

पिछले 3 वित्तीय वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक मेघालय में पीएमईजीपी के तहत वितरित मार्जिन मनी सब्सिडी का जिला-वार विवरण:

जिला	**वित्त वर्ष 2022-23** **एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)**	**वित्त वर्ष 2023-24** **एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)**	**वित्त वर्ष 2024-25** **एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)**
पूर्वी गारो हिल्स	16.25	3.90	102.20
पूर्वी जयंतिया हिल्स	17.40	25.67	168.47
पूर्वी खासी हिल्स	208.73	354.67	1,414.41
पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स	7.00	12.84	72.93
उत्तरी गारो हिल्स	32.76	11.63	91.12
रि-भोई	94.48	52.30	405.61
दक्षिणी गारो हिल्स	4.72	14.37	81.94
दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स	23.92	30.25	67.00
दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	21.30	2.95	145.76
पश्चिम गारो हिल्स	96.48	63.69	406.79
पश्चिम जयंतिया हिल्स	121.89	122.07	391.74
पश्चिम खासी हिल्स	20.82	30.69	122.85
कुल	**665.74**	**725.03**	**3,470.81**

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक, मेघालय में कुल 1,700 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई।

(7) एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) जैसी विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों, खादी कारीगरों, सूक्ष्म उद्यमियों/ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देता है।

मेघालय राज्य में जिला वाणिज्य एवं उद्योग केंद्र, मेघालय और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मेघालय, खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआई) गतिविधियों के कार्यान्वयन का हिस्सा हैं।

(8) नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करके आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) का नेटवर्क स्थापित करके कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन करना है।

(9) सार्वजनिक खरीद नीति में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 25% वार्षिक खरीद अनिवार्य की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 3% खरीद शामिल है।

(10) पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी) योजना, अपने हाथों और औज़ारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इसमें पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान करना, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता शामिल है।

(11) खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु बाजार पहुंच संबंधी पहलों को शुरू करने हेतु लाभ प्रदान करती है। मेघालय में पिछले 3 वर्षों के दौरान 326 एमएसई लाभान्वित हुए हैं।

****